भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

18-8-2017

टी0ए0 मिस वाद सं0-92'B'/2017-18

श्री रोहित महतो बनाम श्रीपति महतो

:: आदेश ::

अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी, गम्हरिया का पत्रांक 1642 दिनांक 21.07.2017 के द्वारा टी0ए0 मिस0 वाद सं0-92'B'/2017-18 से जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। इस वाद में विक्रेता श्री रोहित महतो, पिता- स्व0 विश्वदेव महतो, ग्राम-छोटा गम्हरिया, शिव मंदिर के नजदीक, थाना-गम्हरिया, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता श्रीपति महतो, पिता-विजय महतो, ग्राम-किशुनडीह, थाना-नीमडीह, जिला-सरायकेला-खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(B) के अन्तर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किया है। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र दिया गया है।

::भूमि का विवरणी::

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
छोटागम्हरिया	67	93	988	0.00.28 एकड़
			1014	0.02.66 एकड़
			कुल-	0.02.94 एकड़

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सरायकेला के न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। अंचल अधिकारी, गम्हरिया द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित करते हुए भूमि बिक्री करने की अनुशंसा की गई है। जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से पता चलता है कि विक्रेता स्वंय पंजी-II का रैयत है तथा आवेदक के हिस्से में 5.23.71 एकड़ भूमि है। जिसमें से 0.02.94 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 5.20.77 एकड़ भूमि शेष बचती है। विक्रेता अपने हिस्से की भूमि को विक्री करना चाहता है। प्रतिवेदनानुसार विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला के रहने वाले, जाति 'कुर्मी' (महतो है,) जो पिछड़ा वर्ग में आते है।

उपयुक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.02.94 एकड़ भूमि विक्री करने की अनुमति दी जाती है।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सरायकेला।